खंड –I

<u>ई–निविदा आमंत्रण सूचना</u>

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट मध्य प्रदेश

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/742/ई–टेंडरिंग/2025–26 बालाघाट, दिनांक 27–01–2026

1. वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित – 2022) के अंतर्गत निम्न लिखित निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	02 KW Off Grid Solar Power System - 10 Nos.	**<u>2KW Off-Grid Solar System = 10 Nos.</u>** **Solar Panel** (MNRE Approved) - 540 Watts = 04Nos. Type - Mono Panel (Min. 25 Years Warranty) Structure Type - Hot Dip GI Fix Type ISI Mark. **Inverter** (RMPPT Based Technology) = 01Nos. Capacity - 3KVA/48V. (Min. 05 Years Warranty) **Battery Type Solar (ISO, ISI)** - LFP (LiFe PO4) - Dry Lithium Battery = 04 Nos. Capacity - 150 AH/12V, 04Nos. Single Rack Energy Stored (Wh) 2400 Watt-Hours (Min. 05 Years Warranty) Weight 50.7 lbs (23 Kg) **Cables -** UV resistant, Copper, XLPE Insulated, DC: min 4sq.mm AC as per load **All Accessories including with Installation**	69000/-	1000/- Tax extra

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट **www.mpforest.gov.in** पर निशुल्क देखे और डाउनलोड किये जा सकते है।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 05-02-2026, बजे 02:00 PM से दिनांक 20-02-2026, बजे 05:00 PM तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
- ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्तवपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक 18-02-2026 समय 12:00 PM को उप वनमण्डल कार्यालय बालाघाट (सा.) उप वनमण्डल बालाघाट में आयोजित की जायेगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं या विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग ले सकते है। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होगें जिन्होने ई–टेंडर फॉर्म खरीदे है।
- ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्विपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल :–**https://mptenders.gov.in**

क्रमांक	विवरण	दिनांक	समय
1	Publish Date	29-01-2026	11.00 AM
2	Document Sale Start Date	05-02-2026	02.00 PM
3	Bid Submission Start Date	06-02-2026	02.00 PM
4	Bid Submission End Date	20-02-2026	05.00 PM
5	Bid Opening Date	21-02-2026	06.00 PM

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट

खंड –II

निविदाकारों के लिये निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

क्र.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट के अंतर्गत वन सुरक्षा की दृष्टि से सुदुर वनक्षेत्रों में स्थापित भवनों में निवासरत अधिकारी/कर्मचारियों के लिये **10 स्थलों** में 2kw के Off Grid Solar System की स्थापना हेतु जारी निविदा।
2	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	742 दिनांक 27/01/2026
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	₹1,000/– प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	₹69,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	संलग्न है
7	अनुमानित निविदा मूल्य	₹ 23,00,000/-
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	(पोर्टल पर शैड्यूल देखें)
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	(पोर्टल पर शैड्यूल देखें)
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शैड्यूल देखें)
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शैड्यूल देखें)
12	जमा करने का प्रकार	**Online https://mptenders.gov.in पर करें**

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकरी, दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकरी, दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट के बीच आपसी सहमति के अधीन बढाई जा सकती है। निविदा की वैधता सफल निविदाकार से निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्य अनुबंध करने की तिथि से 12 माह तक की अवधि के लिये वैध होगा। स्वीकृत निविदाकार से अनुबंध के दौरान प्राप्त होने वाले समस्त स्वीकृत कार्यो के अनुसार निविदा में दर्शित मात्रा अनुमानित होने से किसी भी सीमा तक वास्तवीकता के आधार पर घटाई एवं बढाई जा सकती है इसमें किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा)।
3. वनमण्डलाधिकरी, दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताये प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर एफ पी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्वता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेन देन होगा। यह प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर एफ पी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है हालांकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताये इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
4. **प्रति निविदाकार एक निविदा :**

   4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत ईकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।

   4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा।
5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे स्वयं वहन करना होगा, और इसके लिये सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जायेगा।
6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस – पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिये आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी से प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

(ब) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकार को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड एवं सत्यापित छायाप्रतियां वनमण्डल कार्यालय में जमा करने होगें।

   i. GST पंजीकरण प्रमाण पत्र

   ii. पैन कार्ड (PAN)

   iii. पिछले 03 वित्तीय वर्षो के आयकर रिटर्न

   iv. 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक – 1

   v. पूरा अुनलग्नक – 2

   vi. पूरा अनुलग्नक – 3

   vii. सी.ए. प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र

   viii. दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण

   ix. 'एम एस एम ई प्रमाण पत्र' यदि ई एम डी छूट मांगी गई है।

   x. स्टार्टअप इंडिया प्रमाण पत्र यदि वार्षिक औसत टर्न ओवर या और पिछले अनुभव से छूट मांगी है। (अनुलग्नक 4 – खंड (i) और (ii)

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तो की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है:

9.1 ई – निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जायेगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई बदलाव केवल वेबसाईट पर अधिसूचित किया जायेगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जायेगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जबाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है तो यह ऑनलाईन ई – निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जयेगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाये गये प्रश्नों का सार और दिये गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किये गये किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाईट पर प्रस्तुत किया जाएगा।

10. **सत्यांकार निधि (ईएमडी)**

10.1 सत्यांकार निधि गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) कि नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

10.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई – खरीद पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जावेगा। ऑफलाईन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की ई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

10.5 सत्यांकार निधि जप्त की जा सकती है :

10.5.1 यदि निविदाकार वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापिस लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है,

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो,

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है,

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेर फेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकार निधि जप्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जायेगा।

11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से 02 कवर प्रणाली में ऑनलाईन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाऐं और विस्तृत नियम एवं शर्ते पर वेबसाईट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जायेगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने के प्रक्रिया के लिया दिशा निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किये जा सकते है।

13. पूर्व योग्यता मापदण्ड अनुलग्नक 4 में दिये गये है। निविदाकारों को अपने पूर्व योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिये उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व योग्यता या तकनीकी लिफाफे में वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त आधार होगा।

14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन खोली जायेगी।

15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाईन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिये गये बिल की मात्रा (BOQ) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।

17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टेकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डल अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिये उत्तरदायी होगें, जो कि वनमण्डल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में GST, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होगें और यह भारतीय रूपये में होगा।

18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (**अनुलग्नक 3**) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व – घोषणा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ ₹ 100/- के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताये, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

21. निविदाकर्ता प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिये एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी है। और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुसार है या नहीं। निविदाकर्ता निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर अनुरूपता

को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है। (गैर भौतिक विचलन छोटी–मोटी या त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता जो निविदा की मुख्य आवश्याकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करता/करती है, जैसे कि छोटी–मोटी लिपि की त्रुटियां या प्रारूपण संबंधी मुद्दे)

22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदायें खोलेगा।

23. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है तो निविदाओं को अनुत्तरदायी माना जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार यदि समिति वनमण्डल अधिकारी की राय में निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते है तो लाटरी के माध्यम से निर्णय किया जायेगा।

25. कोई भी सशर्त निविदा अवस्वीकार कर दी जायेगी।

26. अंकगणतीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जायेगा यदि ईकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती तो ईकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जायेगा। यदि शब्दों और आंकडों के बीच कोई विसंगति है तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिससे प्रभावित निविदकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

द. अनुबंध का पुरस्कार :

28. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जायेगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिये प्राप्त न्यूनतम दरें अलग अलग फर्मो से है तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मो को जारी किये जायेगें, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिये क्रमशः सबसे कम दरें है।

29. नियोक्ता सफल निविदाकारों को स्वीकृति पत्र **(एल ओ ए)** (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

30. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है उसे इस निविदा के लिये सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग महत्तवपूर्ण तिथियां सामान्य जानकारी पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक, (सहकारी बैकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफ डी आर) या बैंक गारंटी के रूप में वनमण्डल अधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट के पक्ष में जमा की जायेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 03 माह अधिक अवधि के लिये होगी यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिये बढ़ायी जाती है तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालांकि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिये बैध है उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जायेगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायत्विों का उचित निष्पादन किया गया है। हालांकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणन मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित 2022) के अनुरूप की जायेगी।

31. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दण्ड की वसूली के लिये निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिये बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा संदेह से बचने के लिये पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है :–

i. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति वनमण्डल अधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इस लिये निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

ii. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है।

iii. यदि निविदाकार लगातार तीन बार निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदायी है।

iv. निविदाकार समय पर बकाया राशि भुगतान नहीं करता।

32. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। **अनुबंध करने के पूर्व निविदाकार द्वारा स्वीकृत दर अनुसार जितनी राशि का निविदा मूल्य है उस राशि का 3 प्रतिशत निष्पादन शुल्क हेतु एफ.डी.आर. वनमंडल कार्यालय में जमा किया जावेगा, जिसकी अवधि स्वीकृत निविदा दिनांक से मई 2029 तक वैध होगी।** अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।

32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जायेगा। काम शुरू करने के लिये निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आमतौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा यदि कोई हो प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जप्त कर ली जायेगी।

33. निविदाकर्ता इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुये 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है ओर निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।

34. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शामिल होगा ऐसे वाणिज्यिक लेने देन प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ई. अन्य नियम और शर्ते

35. ब्लैक स्टोन, क्रश्ड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में, सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ रॉयल्टी रसीद प्रदान करनी होगी।

36. जहॉ भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) की कटौती की जाएगी।

37. इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रीकल उत्पादों में निविदाकार OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

38. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जायेगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जायेगा, निष्पादन सुरक्षा जप्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

39. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तो और शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) में मांगे गये किसी भी प्रमाण पत्र दस्तावेज को अपलोड नहीं करते है।

39.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत अपलोड किये गये दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले है तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है ऐसे मामले में निविदाकार

का समझौता रद्द किया जा सकता है। जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त की जा सकती है।

39.2 उपजाऊ मिटटी, जैविक खाद, गोबर की खाद और मुरूम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में, सामग्री को वैद्य स्त्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

39.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार राशि ईएमडी और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी यदि कार्य पूरा करने के लिये निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है तो निविदाकर्ता को अन्य स्त्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी ओर इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि ईएमडी और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें से समायोजित की जायेगी यदि यह अतिरिक्त सत्यांकार की राशि ईएमडी और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है तो सत्यांकार की राशि ईएमडी और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी।

39.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।

40. इस निविदा सूचना या जारी किये गये कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकारी निविदाकर्ता के पास होगा।

41. इस निविदा सूचना या जारी किये गये कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नही किया गया है उनके संबंध मे निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

42. कार्य आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर सामग्री की आपूर्ति किया जाना अनिवार्य है, आपूर्ति नही किये जाने पर कार्य आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व भासकीय हित में L-2 या L-3 या अन्य निविदाकार से L-1 की स्वीकृत दर अथवा उससे कम दर पर सामग्री क्रय की जा सकेगी।

43. इस निविदा से प्राप्त L-1 की स्वीकृत दर पर वन वृत्त बालाघाट अंतर्गत सभी वनमंडलों एवं वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट द्वारा सामग्री क्रय की जावेगी।

44. पोर्टल पर निविदाकर्ता द्वारा अपलोड की गई ItemWise BOQ के कॉलम नंबर 4 में दर्शित मात्रा निविदाकर्ता द्वारा चाही गई सामग्री की वास्तविक मात्रा है तथा कॉलम नंबर 6 में निविदाकर्ता द्वारा अनुमानित दर (Estimated Rate) प्रति नग (Per Unit) के लिये है। अतः निविदाकार द्वारा कॉलम नंबर 7 से 13 तक दी जाने वाली दर प्रति नग (Per Unit) के लिये होगी।

एफ. अतिरिक्त आवश्यक शर्ते

45. सोलर सिस्टम में लगने वाली लीथियम DRY बैटरी जिसकी वारंटी कम से कम 05 वर्ष की हो चाहिये। वारंटी पत्र संलग्न करें।

46. इसी प्रकार सोलर पैनल की 25 वर्ष एवं इनवर्टर की 05 वर्ष वारंटी होना चाहिये। वारंटी पत्र संलग्न करें।

47. सभी कार्यस्थलों में सोलर सिस्टम इन्सटालेशन के बाद तीन वर्ष तक निःशुल्क सर्विस उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा। सोलर पैनल, बैटरी या इनवर्टर में आई खराबी को तत्काल सुधार कार्य करना होगा जिसके लिये पृथक से कोई भी भुगतान देय नहीं होगा। निःशुल्क सर्विस प्रदान करने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।

48. निविदा स्वीकृत होने के तीन वर्षो तक प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 03 बार माह जून, अक्टूबर, फरवरी माहों में कार्य स्थल में उपस्थित होकर सुधार कार्य उपरांत संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी का सत्यापन प्रमाण–पत्र लेना आपकी जवाबदारी होगी। तभी आपकी जमा अमानत राशि वापस करने की कार्यवाही की जावेगी।

49. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए।

50. सोलर सिस्टम जैसे सोलर, पैनल, इनवर्टर, लीथियम बैटरी जिस भी कंपनी का प्रदाय किया जायेगा उसका डीलरशिप सर्टीफिकेट प्रदाय करना अनिवार्य होगा। साथ ही OEM कम्पनी के ई–मेल आईडी द्वारा कार्यालय की ईमेल आईडी E-mail - dfotsbghat@mp.gov.in पर डीलरशिप सर्टीफिकेट ईमेल करना अनिवार्य होगा।

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण सा. वनमण्डल बालाघाट

अनुलग्नक –1

प्रारूप स्वघोषणा – काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक / /

सेवा में,

वनमण्डल अधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट।
जिला – बालाघाट म.प्र.

महोदय/महोदया,

दिनांक .... के निविदा संदर्भ संख्या .... के प्रत्युत्तर में .... के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम घोषणा करते है कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म ....का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण कार्यो के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। हम आगे घोषणा करते है कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म .... निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखधड़ी पूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जायेगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जायेगा।

आपका धन्यवाद
दिनांक :

निविदाकार का नाम :

स्थान :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :

संगठन की मुहर :

अनुलग्नक –2

प्रारूप : निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1- निविदाकार/फर्म का नाम : ....

2- पिता का नाम : ....

3- स्थायी पता मकान क्रमांक : ....

गली क्रमांक ....

स्थान ....

4- कार्यालय का पता : ....

गली क्रमांक ....

स्थान ....

जिला .... पिन ....

5- सत्यांकार राशि (ईएमडी) का विवरण प्रकार : एफडीआर/बैंक गारंटी/ ....

....

संख्या दिनांक ....

राशि ....

बैंक का नाम ....

6- जी.एस.टी. नंबर : ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं,.. पिता/पति .... घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा। मैने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तो, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है आर उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक –3

प्रारूप : सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम .... जानता हूँ/जानते है कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट के अंदर किसी भी दिये गये स्थान पर आपूर्ति करने के लिये सहमत है। मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। मैनें/हमने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिये आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है और सभी कार्य स्थितियों को समझते है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक –4

पूर्व – योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए :

"पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षो के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिये ध्यान में रखा जाएगा।"

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक –6

संयुक्त उद्यम (ज्वांइट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तो और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिएः

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मो के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगी :
   - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्रकार प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करने प्रमाणित किया जायेगा।
   - ख. निविदा और सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे ताकि यह सभी भागीदरों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।
   - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिये और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया जायेगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जायेगा।
   - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तो के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिये संयुक्त रूप और अलग अलग उत्तरदायी होगें, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लेखित प्राधिकरण में शामिल किया जायेगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा के मामले में) ।
   - ड. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।
   - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से बैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और
   - छ. भागीदारों द्वारा किये गये संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
2. निविदा के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारति करने के लिये संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएगें। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ताओं को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुये समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है) जो निविदाकारों के लिये निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिये अनुसार प्रस्तुत करें :

क्र.	भागीदारी विवरण	फर्म 'ए' (प्रमुख भागीदार)	फर्म 'बी'	फर्म 'सी'

अनुलग्नक –7

अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध, दिनांक .... को दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र. (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे ''निविदाकर्ता'' कहा जायेगा) और मेसर्स .... (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे ''निविदाकार'' कहा जायेगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिये किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे ''कार्य'' कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है :

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तो में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिये अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जायेगा अर्थात

   i- स्वीकृति पत्र

   ii- निविदाकारों को निर्देश

   iii- अनुलग्नक 1 से 3

   iv- बिल की मात्रा (BOQ) और

   v- निविदा दस्तावेज में सूचीबद्व कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है। जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर .... इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी।

उक्त .... द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद पर परिदत्त...
... की उपस्थिति में,

वनमण्डल अधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट (म.प्र.)

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर

वर्ष 2025-26 में सोलर पैनल (ऑफ ग्रिड) स्थापित किये जाने हेतु स्थल की जानकारी का विवरण

क्रमांक	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	भवन का प्रकार	क्षमता (कि.वा.में)
1	दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट	पश्चिम लांजी	थानेगांव	वनरक्षक आवास	2 kw
2		बालाघाट	पिपरटोला	परिक्षेत्र सहायक आवास	2 kw
3		बालाघाट	मंझारा	पेट्रोलिंग कैम्प	2 kw
4		हट्टा	गोदरी	परिक्षेत्र सहायक आवास	2 kw
5		हट्टा	गरदा	वनरक्षक आवास	2 kw
6		पूर्व लांजी	घोटी	वनरक्षक आवास	2 kw
7		पूर्व लांजी	घोटी	परिक्षेत्र सहायक आवास	2 kw
8		पूर्व लांजी	गुलपुर	वनरक्षक आवास	2 kw
9		लालबर्रा	सोनेवानी भाग–1	वन विश्राम गृह	2 kw
10		लालबर्रा	टेकाड़ी	पेट्रोलिंग कैम्प	2 kw

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट